न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 06/2018

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, बारां(राज.) **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री संजय गर्ग पुत्र धन्नालाल गर्ग, संजय भोजनालय,
चारमूर्ति चौराहा, बारां **(अप्रार्थी)**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**

2. श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली,अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

निर्णय दिनांक– 27.03.2019

1– प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 09.04.2018 को शहर में घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढ़ते व्यवसायिक उपयोग की शिकायत पर संजय भोजनालय चारमूर्ति चौराहा बारां पर दल सहित पहुँचे। मौके पर मालिक संजय गर्ग उपस्थित मिले जिनके सामने भोजनालय की जॉच की गई। जॉच के दौरान मौके पर 3 घरेलू सिलेण्डर (14.2 के.जी.) एक गैस भट्टी चूल्हा पाया गया। इनमें एक गैस सिलेण्डर भट्टी से जुडा हुआ था जिनपर खाना बनाया जा रहा था तथा अन्य सिलेण्डर इसी प्रयोजनार्थ भोजनालय परिसर में रखे हुये थे। इसपर उपस्थित संजय गर्ग से पूछताछ की गई। अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	सिलेण्डर का एस.आ.नं0	कम्पनी	सिलेण्डर पर उपदर्शित एल.पी.ली. का मानक भार	खाली सिलेण्डरो का टेयरवेट	भौति सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी	शुद्ध गैस का भार
1	253996 S	HPCL	14.2	15.8	30.0	14.2
2	88059	HPCL	14.2	15.3	17.3	2.0
3	640663 T	HPCL	14.2	15.5	19.8	4.3
	Total					20.5

इसप्रकार भोजनालय के मालिक ने घरेलू प्रयोजनार्थ सिलेण्डरों का अपने व्यवसयिक हितो की पूर्ति में काम में लिया है जो नियम विरूद्व है तथा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लघंन है। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरो को जप्त सरकार कर बतौर मौतबिरान श्री भॅवरसिंह पुत्र अखेराज सिंह नि. अभिमन्यु बिहार कॉलोनी हाल प्रतिनिधि मै. राज एचपी गैस एजेन्सी बारां की सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार जप्तशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 20.5 किग्रा. गैस एवं एक भट्टी चूल्हे का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी के उपस्थित आने पर अप्रार्थी ने अपने समर्थन में दिनांक 11.10.2018 को जवाब इस्तगासा पेश किया गया।

3— अप्रार्थी ने अपने जवाब में लिखा है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा इस्तगासे में वर्णित कथन मनगढ़न्त कहानी है। प्रार्थी का यह कथन कि उनने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया,उचित नहीं है। जप्तशुदा गैस सिलेण्डरो एवं चूल्का भट्टी को अप्रार्थी को लोटाया जाना विधि संगत है क्योकि कूकिंग गैस कम्प्रेस्ट एवं स्टोर्ड गैस सिलेण्डरो में होती है जो द्रवित पेट्रोलियम गैस नहीं है। इसलिये उनकर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे की कार्यवाहीं निरस्त फरमायी जाकर, जप्तशुदा तीन गैस सिलेण्डरों एवं एक चूल्हा भट्टी को अप्रार्थी को लौटायी जावे।

4— प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब प्राप्त होने पर, बहस विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

5— बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि बारां शहर में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर, गठित दल के साथ दिनांक 09.04.2018 को अप्रार्थी के व्यवसायिक भोजनालय परिसर पर पहुॅचकर जॉच की गयी। जॉच के दौरान दुकान में मौके पर 3 घरेलू सिलेण्डर, एक गैस भट्टी चूल्हा पाया गया। जिनमें से एक गैस सिलेण्डर भट्टी से जुडा हुआ था। जिनपर खाना बनाया जा रहा था। मौके पर उपस्थित व्यवसायिक मालिक से इसके संबंध में पूछताछ की गयी। किन्तु उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है, जो विधि विरूद्व एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है एवं दंडनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा चार घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक चूल्हे को राजसात किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान अप्रार्थी अभिभाषक का कथन है कि रसद विभाग द्वारा उसके विरूद्व गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने से, सिलेण्डर व चूल्हा जप्त किये जाने का केस दर्ज किया गया है। जबकि अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया गया है। मौके पर विभाग ने उक्त गैस सिलेण्डरो का चुल्हे से जुडे होने की बात लिखी है। यह कथन पूर्णतया असत्य एवं निराधार है। उसके द्वारा गैस सिलेण्डरों को बेचने या अन्य कोई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवैधानिक कार्य कर अनुचित लाभ कमाने का कोई कार्य नहीं किया गया है। साथ हीं कथन किया कि विभाग द्वारा उसके विरूद्व राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लघंन मानते हुये कार्यवाहीं की गयी है। जबकि कूकिंग गैस कम्प्रेस्ट एवं स्टोर्ड गैस होती है। द्रवित गैस नहीं होती है। इस प्रकार इस्तगासे में जिन नियमों को उल्लघंन बताया गया है। यह नियम अप्रार्थी पर लागू नहीं होते है। इस प्रकार रसद विभाग द्वारा नियमों एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर, गैस सिलेण्डर एवं चूल्हा जप्त किया गया है जो पूर्णतया विधि विरूद्व है। अतः इस्तगासा निरस्त फरमाया जाकर, जप्तशुदा गैस सिलेण्डर तीन मय गैस एवं एक भट्टी चूल्हा अन्तरिम सुपुर्दगीदार से अप्रार्थी को वापस लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

7— हमने विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसायिक परिसर संजय भोजनालय, बारां पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग खाना बनाने के काम में लिये जाने पर, मौके पर 3 गैस सिलेण्डरों एवं एक भट्टी चुल्हा जप्त किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी का कथन रहा है कि उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया है ना हीं कोई अनुचित लाभ प्राप्त किया है। कूकिंग गैस कम्प्रेस्ट एवं स्टोर्ड गैस होती है, जिसपर द्रवित गैस नियम के कानूनी लागू नहीं होते है। इस्तगासा कानून विरूद्व प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा अप्रार्थी के व्यवसायिक परिसर पर मौके पर जप्तशुदा गैस सिलेण्डर व भट्टी से खाना बनाते पाया गया है। इसी आधार पर मौके पर गैस सिलेण्डरो एवं भट्टी चूल्हा जप्त किया गया है। जिसे किसी भी स्थिति में नकारा नहीं जा सकता। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना प्रमाणित है, जो अप्रार्थी की घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

8— परिणामस्वरूप, प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जप्तशुदा तीन गैस सिलेण्डर मय 20.5 किग्रा. गैस एवं एक भट्टी चूल्हे को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा सामान को अंतरिम सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर, नियमानुसार उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी एच0पी0 में जमा कराकर, रसीद प्राप्त करे तथा भट्टी चुल्हे का खुली नीलामी में विक्रय करवाकर, प्राप्त आय को राजकीय राजसात मद में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(... राव)
जिला कलक्टर,बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official